न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

प्रकरण संख्या–रेफरेन्स / एल.आर / 3120 / 2006 / अलवर

सरकार जरिये तहसीलदार, मुण्डावर जिला अलवर

–प्रार्थी

बनाम

1. हरिसिंह पुत्र रामलाल अहीर
2. रामअवतार पुत्र रामलाल अहीर
3. पतराम पुत्र घीसा अहीर
4. सुमेर पुत्र घीसा अहीर
5. राजमल पुत्र घीसा अहीर
6. सज्जनसिंह पुत्र घीसा अहीर
7. प्रदीप पुत्र रामानन्द अहीर
8. संदीप पुत्र रामानन्द अहीर
9. विमला बेवा रामानन्द अहीर
10. महावीर पुत्र जीवनराम अहीर
11. लालसिंह पुत्र जीवनराम अहीर
12. वीरसिंह पुत्र जीवनराम अहीर
13. बहादुर पुत्र सूण्डा अहीर
14. दयाराम पुत्र सूण्डा अहीर
15. ग्यारसा पुत्र सूण्डा अहीर
16. देशराज पुत्र सूण्डा अहीर

समस्त निवासीगण मुण्डनवाडा खुर्द तहसील मुण्डावर जिला अलवर

–अप्रार्थीगण

एकल पीठ
श्री बी.एल. गुप्ता, सदस्य

उपस्थितः –

श्री मुकेश दाधीच, राजकीय उप अधिवक्ता, प्रार्थी
श्री खडगसिंह, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 5–6–12

यह रेफरेंस धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलेक्टर, (प्रथम) अलवर ने आदेश दिनांक 14–02–2006 द्वारा प्रेषित कर निवेदन किया है कि ग्राम मुण्डनवाडा तहसील मुण्डावर स्थित साबिक आराजी खसरा नम्बर 91 रकबा 11 बीघा 18 बिस्वा माफी मन्दिर श्री

रघुनाथ जी करनीकोट के नाम दर्ज थी जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 85 रकबा 0.47 ऐयर, 86 रकबा 0.48 ऐयर, 87 रकबा 0.48 ऐयर, 88 रकबा 0.48 ऐयर, 88 रकबा 0.59 ऐयर व 90 रकबा 0.59 ऐयर है। उक्त आराजी भू–प्रबन्ध विभाग ने सम्वत् 2029–32 में अनुचित व अवैधानिक तरीके से क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर अप्रार्थीगण व अन्य काश्तकारों के नाम खातेदारी में दर्ज कर दी जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के विपरीत होने से पूर्णतयाः अवैधानिक व शून्य है। अतः विवादित भूमि से अप्रार्थीगण का नाम हटाया जाकर माफी मन्दिर श्री रघुनाथ जी करनीकोट के नाम दर्ज करने के आदेश प्रदान करे।

2. हमने उभय पक्षों के अधिवक्तागण की बहस सुनी।

3. सर्वप्रथम हम अप्रार्थी हरीसिंह की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता दिनांक 24–2–2012 को निर्णीत करना उचित समझते है। योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थनापत्र में वर्णित दस्तावेजात राजस्व रिकार्ड की सत्य प्रतिलिपियां है, जिनकी विश्वसनियता पर सन्देह नहीं किया जा सकता है। अतः प्रार्थनापत्र में वर्णित दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिया जावे। इसके विपरीत राजकीय उप अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात केवल मात्र फोटो प्रति है, जिन्हें रिकार्ड पर नहीं लिया जा सकता है।

4. हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया, जो निम्नांकित है–

1.	जमाबन्दी सम्वत् 2012	सत्यापित प्रमाणित प्रतिलिपि
2.	रजिस्टर दाखिल खारिज–निजामत अलवर	फोटो प्रति
3.	जमाबन्दी मुफसिल मौजा मुण्डनवाडा निजामत मुण्डावर–1992	फोटो प्रति
4.	खसरा गिरदावरी सम्वत् 2012–2016	सत्यापित प्रमाणित प्रतिलिपि
5.	खसरा गिरदावरी सम्वत् 2017–2020	सत्यापित प्रमाणित प्रतिलिपि
6.	खसरा मिलान भू–प्रबन्ध विभाग सम्वत् 2029	सत्यापित प्रमाणित प्रतिलिपि
7.	खतौनी बन्दोबस्त भू–प्रबन्ध सम्वत् सम्वत्	सत्यापित प्रमाणित प्रतिलिपि

	2029 से 2032	
8.	उपखण्ड अधिकारी, बहरोड द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18–10–1972	सत्यापित प्रमाणित प्रतिलिपि

अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात में से जो दस्तावेजात सत्यापित प्रमाणित प्रतिलिपि है जिनकी विश्वसनीयता पर किसी प्रकार का सन्देह नहीं किया जा सकता है, उन्हें रिकार्ड पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है तथा जो दस्तावेजात केवल मात्र फोटो प्रति है, उन्हें रिकार्ड पर नहीं लिया जाता है। तद्नुसार प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है।

5. विद्वान राजकीय उप अधिवक्ता ने रेफरेंस आदेश में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि विवादित भूमि मूर्ति मंदिर की माफी की होने से तथा मूर्ति मंदिर शाश्वत नाबालिग होने से उसमें किसी व्यक्ति को कानूनन खातेदारी अधिकार अर्जित नहीं होते हैं। विवादित आराजी जमाबन्दी सम्वत् 2020–22 में मन्दिर मूर्ति रघुनाथ जी महाराज की खातेदारी की भूमि थी। भू–प्रबन्ध विभाग ने सैटलमैन्ट के समय अप्रार्थीगण को उक्त भूमि के खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये, जो सर्वथा अनुचित व अवैधानिक है क्योंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अन्य किसी काश्तकार को मन्दिर माफी की भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। अतः जिला कलक्टर द्वारा प्रेषित अनुशषां को स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी माफी मन्दिर के नाम दर्ज की जावे।

4. योग्य अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी पूर्व राजस्व रिकार्ड में मन्दिर मूर्ति की खुदकाश्त की भूमि नहीं थी। अतः राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 24–5–2007 के अनुसार जागीरों के अधिग्रहण के समय माफी मन्दिर की भूमि जो किसी व्यक्ति के नाम खातेदार, पट्टेदार अथवा खादिमदार आदि के नाम दर्ज थी, उन काश्तकारों को पूर्ण उत्तराधिकार योग्य एवं हस्तान्तरणीय अधिकार प्राप्त है एवं ऐसी भूमियों को पुनः मन्दिरों के नाम दर्ज किया जाना विधिसम्मत् नहीं है। उनका कथन है कि अप्रार्थीगण सम्वत् 2012 से पूर्व से ही विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार है। उनका यह भी कथन है कि उपखण्ड अधिकारी, बहरोड द्वारा पारित निर्णय एवं

डिक्री दिनांक 18–10–1972 से भी विवादित आराजी के खातेदारी अप्रार्थीगण के पूर्वजों को प्रदान किये गये है। राज्य सरकार द्वारा उक्त निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध कोई अपील प्रस्तुत नहीं कर करीब 44 वर्ष उपरान्त रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया है, जिसे स्वीकार किये जाने का कोई न्यायोचित आधार नहीं है। अतः राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत रेफरेन्स को निरस्त किया जावे। योग्य अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपने कथनों के समर्थन में राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र एवं न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये।

5. हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

5. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत् 2012 के कॉलम संख्या–4 भूमि अधिकारी के कॉलम में खसरा नम्बर 91 रकबा 11 बीघा 18 बिस्वा भूमि पर मन्दिर श्री रघुनाथ जी महाराज बअहतमाम पन्नालाल पुत्र जानकीप्रसाद 1/4, रामेश्वर 1/4, काशीराम, रामानन्द पुत्रान जैनारायण समभाग 1/4, मातादीन पुत्र बदरी प्रसाद 1/4 दर्ज है। कॉलम संख्या–5 कृषक के कॉलम में गुलझारी, घीसा, सूडिया, दाताराम पुत्रान गंगासहाय समभाग अहीर ग्रामवासी गैर मौरूसी दर्ज है। खसरा गिरदावरी सम्वत् 2013 से 2016 व सम्वत् 2017 से 2020 के कॉलम संख्या 5 भूमि अधिकारी के कॉलम में मन्दिर श्री रघुनाथ जी महाराज बअहतमाम पन्नालाल पुत्र जानकीप्रसाद 1/4, रामेश्वर पुत्र रामप्रताप 1/4, काशीराम, रामानन्द पुत्रान जैनारायण समभाग 1/4, मातादीन पुत्र बदरी प्रसाद 1/4 ब्राहमण पनवाडिया प्रधान ग्राम करनीकोट माफी अतपेराज दर्ज है। कॉलम संख्या–6 कृषक के कॉलम में गुलझारी, घीसा, सूडिया, दाताराम पुत्रान गंगासहाय समभाग अहीर ग्रामवासी गैर मौरूसी दर्ज है। खसरा मिलान से स्पष्ट है कि पूर्व खसरा नम्बर 91 के वर्तमान खसरा नम्बर 85 रकबा 0.47 ऐयर, 86 रकबा 0.48 ऐयर, 87 रकबा 0.48 ऐयर, 88 रकबा 0.48 ऐयर, 88 रकबा 0.59 ऐयर व 90 रकबा 0.59 ऐयर कायम किये गये है। जमाबन्दी सम्वत् 2029 से 2032 में उक्त विवादित आराजी अप्रार्थीगण के नाम दर्ज कर दी। उक्त से स्पष्ट है कि विवादित आराजी जमाबन्दी सम्वत् 2012 के अनुसार मन्दिर मूर्ति की खातेदारी की भूमि थी, जिसे भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा अप्रार्थीगण के नाम गलत रूप से दर्ज किया गया है। विवादित आराजी मन्दिर मूर्ति की भूमि होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा

16 एवं 46 के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है।

6. राज्य सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक 3(2)राज–6 / 2007 / 14 दिनांक 24.5.07 में मन्दिर मूर्ति की भूमि बाबत राज्य सरकार ने निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये हैं:–

> ''मंदिरों को माफी की भूमि जागीर के रूप में भी दी गयी थी तथा राज0 भूमि सुधार तथा जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम, 1952 के प्रभावी होने पर जागीरों के पुर्नग्रहण के साथ साथ ऐसी भूमियों का निस्तारण इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किया गया, जिसके अनुसार जो भूमि जागीरों के पुर्नग्रहण के समय किसी व्यक्ति के पास पटटेदार या अन्य किसी नाम से दर्ज थी, उस भूमि को जागीर अधिग्रहण के समय उस व्यक्ति के नाम निरन्तर दर्ज करते हुए खातेदारी निरन्तर बनाये रखने के अधिकार प्रदान किये गये हैं।

7. योग्य अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा हमारे समक्ष ऐसा कोई प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह स्पष्ट हो कि विवादित आराजी पूर्व में अप्रार्थीगण के पूर्वजों के पास पट्टेदार या अन्य किसी नाम से दर्ज थी। सम्वत् 2012 की जमाबन्दी के कॉलम संख्या–6 कृषक के कॉलम में गुलझारी, घीसा, सूडिया, दाताराम पुत्रान गंगासहाय समभाग अहीर ग्रामवासी गैर मौरूसी दर्ज है, जिससे यह माना जावेगा कि विवादित आराजी पर अप्रार्थीगण मूर्ति मन्दिर की ओर से ही कृषि कार्य कर रहे है। चूंकि मन्दिर मूर्ति शास्वत नाबालिग है, जिसकी आराजी पर किसी व्यक्ति द्वारा की गयी काश्त मन्दिर मूर्ति की ओर से किया जाना माना जावेगा। मन्दिर मूर्ति की आराजी पर किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। जैसा कि आरआरडी 1994 पेज 01 पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने अवधारित किया है तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने हनुमान प्रसाद बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय दिनांक 8–7–2008 से पुष्ट किया है। योग्य अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र एवं न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत प्रकरण पर चस्पा नहीं होते है।

8. जहां तक उप जिलाधीश, बहरोड द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18–10–1972 का प्रश्न है, उप जिलाधीश, बहरोड के न्यायालय में वादी

दाताराम पुत्र गंगासहाय अहीर साकिन मुण्डनवाडा खुर्द तहसील मुण्डावर ने वाद संख्या 59 / 1968 प्रस्तुत किया जिसमें मातादीन को असल प्रतिवादी बनाया गया तथा गुलजारी, सुन्डा एवं मु0 मोहरा बेवा घीसा को तरतीबी प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया। उक्त प्रकरण में न तो मन्दिर मूर्ति को पक्षकार बनाया गया है, ना ही राज्य सरकार को पक्षकार बनाया गया है, ना ही अन्य पुजारियों को पक्षकारा बनाया गया है। इस प्रकार वादी पक्ष एवं प्रतिवादी पक्ष द्वारा मिलीभगत एवं सुनियोजित तरीके से उप जिलाधीश, बहरोड के न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर अपने पक्ष में विवादित आराजी की डिक्री प्राप्त की गयी है, उक्त डिक्री पूर्णतयाः दोनों पक्षों द्वारा मिलीभगत कर प्राप्त की गयी है जो अवैधानिक होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 221 के अन्तर्गत मण्डल को प्राप्त अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः धारा 221 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत मण्डल को प्रदत्त अन्तर्निहित शक्तियों के तहत उप जिलाधीश, बहरोड द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18–10–1972 निरस्त किया जाता है।

9. जहां तक रेफरेन्स के विलम्बित प्रस्तुतीकरण का प्रश्न है, रेफरेन्स करने के लिए कोई समयावधि निर्धारित नहीं है। 2009 आरआरडी पेज 397 पर यह अवधारित किया है कि मूर्ति मन्दिर शास्वत अवयस्क है। अवैध आदेश को किसी भी समय चुनौती दी जा सकती है। 2000 आरआरडी (एच.सी.) पेज 74पर माननीय उच्च न्यायालयने 35 वर्ष के विलम्ब से प्रस्तुत रेफरेन्स को उचित माना है। 1994 आरआरडी पेज 64 के अनुसार क्षेत्राधिकार के बाहर निर्णय के लिए मियाद का बिन्दू लागू नहीं होता। ऐसे आदेशों को कभी भी चुनौती दी जा सकती है। प्रस्तुत प्रकरण में जबकि उपखण्ड अधिकारी, बहरोड से मन्दिर के एक पुजारी से मिलीभगत कर अप्रार्थीगण ने डिक्री प्राप्त की है, को अपास्त कराने के लिए किये रेफरेन्स को मियाद के तकनीकी बिन्दू पर खारिज नहीं किया जा सकता।

10. उपरोक्त उल्लेखित विवेचन के आधार पर प्रस्तुत रेफरेन्स प्रकरण में अप्रार्थीगण की ओर से ऐसी कोई प्रमाणित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह प्रमाणित हो कि विवादित आराजी पूर्व में मन्दिर मूर्ति की खातेदारी की भूमि नहीं होकर किसी व्यक्ति विशेष की खातेदारी अथवा

पट्टेदार की भूमि थी। अतः राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

11. परिणामतः राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत रेफरेन्स स्वीकार किया जाता है तथा विवादित आराजी को पुनः मन्दिर मूर्ति रघुनाथ जी करनीकोट महाराज के नाम दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। विवादित आराजी पर अप्रार्थीगण से सम्बन्धित प्रविष्टियॉ कलमजन की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(बी.एल. गुप्ता)
सदस्य